भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2028

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट

†2028. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खनन से स्थानीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी खनिज पट्टे, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं और सामुदायिक विकास दायित्वों को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना और खजुराहो शहर जिलों में कोई खनिज अन्वेषण लाइसेंस, खनन पट्टे या एनएमईटी समर्थित परियोजनाएं चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय रोजगार सृजित करने, प्रदान किए गए प्रशिक्षण और कल्याणकारी कार्यों के लिए पट्टा एनएमईटी के अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त जिलों में खनन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इनके कारण क्या हैं और उचित मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पारदर्शी शिकायत निवारण, पर्यावरण संरक्षण और खनन संबंधी रोजगार में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) सरकार, एक पारदर्शी तरीके से नीलामी द्वारा खनिज पट्टे प्रदान करती है और एनएमईडीटी, परियोजनाओं को वित्त-पोषित करती है। 2015 से, कुल 612 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है और राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) द्वारा 656 परियोजनाओं को

मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) सामुदायिक विकास दायित्वों को पूरा करता है।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 11 खनिज रियायतें (सीएल और एमएल) नीलाम की गई हैं, जबकि 96 अन्य खनन पट्टे और 9 एनएमईडीटी-वित्त पोषित गवेषण परियोजनाएं कटनी, पन्ना और छतरपुर जिलों में प्रचालनरत हैं और इन जिलों में खनन कार्यकलापों के संबंध में किसी अड़चन के बारे मे सूचित नहीं किया गया है।

स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर (एससीएमएस) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, देश में खनन क्षेत्र में लगभग 1.3 करोड़ रोजगार सृजित हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में खान मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1,313 प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया गया। इसके अलावा, खनन कार्यकलाप से प्राप्त डीएमएफ अंशदान का उपयोग स्थानीय समुदायों के लिए कल्याणकारी कार्यों हेतु किया जाता है।

(ङ) खनिज रियायतें प्रदान करने से पहले, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी सहित अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाने के लिए, स्थानीय समुदाय के मुद्दों का समाधान करने के लिए आम लोगों से परामर्श किया जाता है। पूर्वेक्षण पट्टेदार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करते हैं और आधारभूत पर्यावरण पर परियोजना कार्यकलाप के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत करते हैं। खनन पट्टा धारक पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाने के दौरान यथा अनुमोदित पर्यावरण शमन संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते हैं। उपरोक्त सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन कार्यकलाप लोकहित के अनुरूप है।

*****